



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 13]

नई दिल्ली, मई 26—जून—2013/ज्येष्ठ 5—ज्येष्ठ 11, 1935

No. 13]

NEW DELHI, MAY 26—JUNE 1, 2013/JYAISTHA 5—JYAISTHA 11, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 2013

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना समूह 'ग' सहायक (सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केंद्रों से भिन्न) भर्ती नियम, 2004 और सेना समूह 'ख' कार्यालय अधीक्षक (सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केंद्रों से भिन्न) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्यालय अधीक्षक (सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केंद्रों से भिन्न) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना कार्यालय अधीक्षक (सेना इंजीनियरी सेवा/सेना इंजीनियरी महाविद्यालय/इंजीनियर केंद्रों से भिन्न) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Direct Recruits):	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.
1. Additional Secretary, Ministry of Defence	—Chairman
2. Assistant Chief of Integrated Defence Staff (Training and Doctrine) Headquarters integrated Defence Staff	—Member

[F.No. PC to MF 15580/RRs/PVP/NDA/IDS/PERS/161/D (Appls.)]

DAI.PAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 2013

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक आशुलिपिक श्रेणी "क", "ख", "ग" और "घ" भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक आशुलिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

2080 GI 113-6

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक	72* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल कां जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अरुमांन और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		
(7)			(8)		
आवश्यक :			लागू नहीं होता		
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण			(9)		
(ii) कौशल परीक्षण सन्निधम :			दो वर्ष		
श्रुत लेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर, 10 मिनट					
प्रतिलेखन : 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी)					
(मैन्युअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी)					
और 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)					
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधे भर्ती द्वारा शत-प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी — (क) जो नियमित आधार पर आशुलिपि का सदृश पद धारण कर रहे हैं		

(11)

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006/वह तारीख छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है, और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों का विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय
2. सिविलियन स्टाफ आफिसर की पंक्ति का एक आफिसर
3. सिविलियन स्टाफ आफिसर की पंक्ति का एक आफिसर

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

[फा. सं. सीपी/0601/आशुलिपिक/719/यू एस (सीजी-आर)/2013]  
सुधीर बाबू मोटना, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 2013

**S.R.O. 32.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Stenographers Grade 'A', 'B', 'C' and 'D' Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer in Coast Guard, Ministry of Defence namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Stenographers (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band and grade pay and pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, and qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

2080 GP/13-7

**4. Disqualification.**—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said Posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer	72* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time, and further relaxation for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).
					Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<b>Essential :</b> (i) 12th class pass from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms : Dictation : 10 mts @ 80 w.p.m Transcription : 65 mts. (Eng.) 75mts. (Hindi) (On Manual typewriter); or 50 mts. (Eng.) 65mts. (Hindi) (On computer)	Not applicable	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	
(10)	(11)	
100% by direct recruitment on the basis of competitive examination Conducted by Staff Selection Commission failing which by deputation.	<b>Deputation:</b> Officers of the Central Government : (a) holding analogous post of Stenographer on regular basis.  <b>Note 1 :</b> The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.  <b>Note 2 :</b> For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee Consisting of:</b> 1. Director (Personal), Coast, Guard Headquarter, —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

(13)

2. One Officer in the rank of Civilian Staff Officer. —Member
3. One Officer in the rank of Civilian Staff Officer —Member.

[F.No. CP/0601/Stenographers/719/US(CG-R)/2013]  
SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.